

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1996

--:आदेश:-

क्रमांक/एफ-7-22/93/10/3 राज्य शासन द्वारा प्रदेश में नई निस्तार नीति के अन्तर्गत मुर्दों को जलाने के लिये जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्ववत् रखने के संबंध में निर्णय लिया गया कि:-

(1) नई निस्तार नीति में आंशिक संशोधन करते हुये मुर्दों को जलाने के लिये जलाऊ लकड़ी उपभोक्ता दर पर वेंडर्स को उपलब्ध कराने की पूर्व व्यवस्था यथावत् रखी जाये ।

उक्त व्यवस्था दिनांक 1-7-96 से लागू मानी जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
(धर्मेन्द्र शुक्ला)  
अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृ.क्र.एफ-7-22/93/10/3  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 31-7-1995

- 1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्थानीय शासन विभाग/राजस्व/आदिम जाति कल्याण/वित्त विभाग
- 2/ समस्त संभागीय आयुक्त म0प्र0
- 3/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल
- 4/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल म0प्र0
- 5/ समस्त वन संरक्षक म0प्र0
- 6/ संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भोपाल म0प्र0
- 7/ समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
- 8/ समस्त वन मंडलाधिकारी मध्यप्रदेश

(धर्मेन्द्र शुक्ला)  
अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग